पत्रांक................/

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड

–:आदेश:–

आदेश सं0– 268/HS   राँची, दिनांक :– 21.04.2020

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(I) में प्रदत शक्तियों के आधार पर, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं0 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 15 अप्रैल 2020, Nation Directives for COVID -19 Management, Annexure -1 कंडिका 1 " Wearing of face cover is compulsory in all public places, work places" के आलोक में, **राज्य अन्तर्गत, आगामी आदेश तक, प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया जाता है।**

2. इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम–मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्क/फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर एवं 5 घंटे धूप में सूखाकर/5 मिनट इस्त्री करने के उपरान्त पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क/फेस कवर उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि का भी फेरा कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर, मुंह–नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा, आदि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह साफ किये बिना न किया जाए।

3. उपरोक्त आदेश क़ी अवहेलना होने की स्थिति में, गृह मंत्रालय के उक्त आदेश के साथ संलग्न सुसंगत धाराओं यथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के धारा– 51 से 60 एवं IPC, 1860 की धारा– 188 के अन्तर्गत विधिक कार्रवाई की जायेगी।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(डॉ0 नितीन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक......268./(HS)   राँची, दिनांकः– 21.04.2020

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी जिला उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
5. अभियान निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।
6. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
7. राज्य सर्विलेंस पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।